भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CHIEF TREASURY OFFICER VARANASI

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 523751

201900996043319

श्री रमाशंकर संस्थान

न्यास विलेख उद्घोषणा

(Declaration of Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 17.12.2019 को जय प्रताप सिंह पुत्र योगेन्द्र प्रताप सिंह निवासी मकान नम्बर सा–14/67ए–5, निकट रेलवे क्रासिंग, बरईपुर, वार्ड सारनाथ, जिला वाराणसी, मो0नं0–9696985318 द्वारा घोषित किया गया है। जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जाएगा क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रू0 20000/– (बीस हजार रुपये) की राशि है, जिसे कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति संहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक

Pratap

श्री रमाशंकर संस्थान
बरईपुर, वार्ड सारनाथ, वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 523752

है जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थापित, जनहित एवं समाजहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों जैसे–प्राविधिक, उच्च चिकित्सा, व्यवसायिक आदि क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करेगा, जिसको आगे संक्षिप्त में "ट्रस्ट" भी कहा जा सकेगा। क्योंकि ट्रस्ट के न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे जिन्हें आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि विभिन्न क्षेत्रों से दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित हो, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को बढ़ाये जाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 20000/– (बीस हजार रूपये) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का **पंजीकृत कार्यालय मकान नम्बर सा–14/67ए–5 निकट रेलवे क्रासिंग, बरईपुर, वार्ड सारनाथ, जिला वाराणसी** में रहेगा एवं अपनी इच्छानुसार अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। न्यासकर्ता/ ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

श्री रमाशंकर संस्थान (इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावलीः–

ट्रस्ट के उद्देश्य–

ट्रस्ट निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा–

1. बिना लिंग भेद किए हुए सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पुस्तकालयों,

Pratap

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CHIEF TREASURY OFFICER VARANASI

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FK 523753

वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास समबद्ध आबद्ध प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थानों, शासन आदि से उन्हें सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृत कराना।

2. ग्राम विकास अभिकरण की गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना एवं संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी का संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलादि का विकास करना।
6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगात्मक परिक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. किसी भी सामान (तरल एवं ठोस) की खरीद एवं बिक्री करना।
10. पत्थर के खनन का कार्य कराकर भूमि का उपजाऊ योग्य बनाना।

श्री रामाधार संस्थान

[illegible] की अवधि [illegible] 2022

[illegible] कुमार यादव
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्री कचहरी, वाराणसी
[illegible]-73/31/54/92

आवेदन सं०: 201900996043319

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 235 के पृष्ठ 389 से 424 तक क्रमांक 247 पर दिनाँक 17/12/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अशोक कुमार श्रीवास्तव (प्रभारी)
उप निबंधक : सदर प्रथम
वाराणसी
17/12/2019